1782

लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ0प्र0—226007

Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या :............................../सम्बद्धता/2017

दिनांक :..

ई—मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय—ज्ञाप

संदर्भ :— विश्वविद्यालय से निर्गत नोटिस संख्या : एएफ 50734—39—69/ सम्ब./2017, दिनांक 08.11.2017

लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित ऐसे पाठ्यक्रमों जिनकी **सहयुक्तता 30 जून 2018 को समाप्त होने जा रही है**, के सम्बन्ध में सूच्य है कि उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या : 1963/सत्तर—2—2013—16(165)/2012, दिनांक 11 दिसम्बर, 2013 द्वारा बी0एड0 के अतिरिक्त अन्य पाठ्यक्रमों की सहयुक्तता हेतु विश्वविद्यालय में स्थलीय निरीक्षण आख्या प्राप्ति के उपरान्त **15 जून तक** उनके निस्तारण हेतु अन्तिम तिथि निर्धारित की गयी है।

अतः ऐसे सहयुक्त महाविद्यालयों जिनमें स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित स्नातक/परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों की पूर्व **प्रदत्त सहयुक्तता 30 जून, 2018 को समाप्त होने जा रही है**, को **सम्मुख बाक्स में अंकित पत्र के कम में पुनः** निर्देशित किया जाता है कि —"**आगामी शिक्षण सत्र 2018—19 से स्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने हेतु समस्त कमियों के निस्तारणोपरान्त स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रत्येक दशा में 15.05.2018 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में ऐसे पाठ्यक्रमों में सत्र 2018—19 से प्रवेश प्रतिबन्धित समझा जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।**"

2. उक्त तारतम्य में ही यह **भी निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित नये पाठ्यक्रमों/विषयों के संचालनार्थ 2018—19 से सहयुक्तता प्रदान किये जाने हेतु स्थलीय निरीक्षण आख्या प्रत्येक दशा में 15.05.2018 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में संदर्भित पाठ्यक्रमों/विषयों में सत्र 2018—19 से प्रवेश की अनुमति दिया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं होगा जिसके लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होंगे।**

(डॉ0 भावना मिश्रा)
उप कुलसचिव (सम्ब.)

संख्या : AF-52235-41 दिनांक : 30/11/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक प्रति कुलपति को प्रति कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. अधिष्ठाता, महाविद्यालय विकास परिषद, ल0वि0।
4. इंचार्ज, वेबसाइट/कम्प्यूटर सेन्टर, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि नोटिस को विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों को ई—मेल से प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. परीक्षा नियंत्रक, ल0वि0वि0।
6. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव को कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
7. प्रबन्धक/प्राचार्य समस्त सहयुक्त महाविद्यालयों को अनुपालनार्थ।
8. गार्ड फाईल।

Bmishra

(डॉ0 भावना मिश्रा)
उप कुलसचिव (सम्ब.)